[2021] 6 एस. सी. आर 225

काला सिंह @गुरुनाम सिंह

वी.

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1040-1041 2021 का)

21 सितंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860s। 304 भाग II आर/डब्ल्यू एस। 34 और एस। 201

अपीलार्थी-अभियुक्त और मृतक में अचानक लड़ाई हो गई-गर्मी में

जुनून के कारण, सह-आरोपी, जिसके पास छड़ थी, ने मृतक के सिर पर छड़ से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई

इसके बाद अपीलार्थी और सह-अभियुक्त ने मृतक के शव को नहर में फेंक दिया-अपीलार्थी और सह-अभियुक्तों को सत्र न्यायालय यू/एस द्वारा दोषी ठहराया गया। 302 / 34 और एस। 201 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को संशोधित किया s.302 आई. पी. सी. उस यू / s.304 भाग-I आई. पी. सी.-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः आवेग की गर्मी में अचानक लड़ाई हुई और अचानक झगड़ा हुआ-कोई पूर्व-ध्यान नहीं था-क्योंकि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त की ओर से मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था जिससे होने की संभावना हो।

मृत्यु, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए था

यू / s.304 आई. पी. सी. का भाग-I-अपीलार्थी को यू / s.304 भाग-I / धारा 34 आई. पी. सी. को उस यू/में संशोधित किया गया है। s.304 भाग-II / धारा 34 आई. पी. सी.-उसका दोषसिद्धि यू / s.201 आई. पी. सी. बनाए रखा गया।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलार्थी, सह-अभियुक्त और मृतक हरदेव सिंह अरोड़ा नामक व्यक्ति के घर गए और उन्होंने

शराब की एक बोतल अपने साथ ले गए। इसके बाद वे हरिके मार्ग से होते हुए डोडा माइनर के पुल पर गए। वहाँ उन्होंने शराब का सेवन किया जहाँ अपीलार्थी और मृतक के बीच यह आरोप लगाते हुए झगड़ा हुआ कि मृतक ने शराब चुराई थी। अपीलार्थी का कबूतर। सह-अभियुक्त, जिसके पास छड़ी थी, ने मृतक के सिर पर छड़ से वार किया। इसके तुरंत बाद वह नीचे गिर गया और आधे घंटे के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए उन्होंने शव को छोटी नहर में स्थानांतरित कर दिया। अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और अन्य सामग्री से यह स्पष्ट है कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि हाथापाई झमेले पर हुई थी।

एक पल और एक अचानक लड़ाई पर जुनून की गर्मी में एक अचानक लड़ाई हुई थी। यह एक पूर्व-ध्यान नहीं था और क्योंकि अपीलार्थी और सह की ओर से कोई इरादा नहीं था

अभियुक्त या तो मृत्यु का कारण बनता है या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाता है जो है

मृत्यु होने की संभावना, उच्च न्यायालय को नहीं होना चाहिए अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। अपीलार्थी की ओर से किसी भी इरादे के अभाव में, यह एक स्पष्ट मामला है जहां अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि बनाए रखते हुए आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II के तहत एक में संशोधित किया जाना है। [पैरा 9] [229-बी-एफ]

2. अपीलार्थी की दोषसिद्धि को एक से संशोधित किया गया है

धारा 304 भाग-1/34 आई. पी. सी. के तहत धारा 304 भाग-II/34 आई. पी. सी. के तहत। अपीलार्थी को सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया Rs.10,000/- का जुर्माना बरकरार रखा जाता है। इसके अलावा, आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और तीन साल के कठोर कारावास की सजा और Rs.500/- के जुर्माने को भी बनाए रखा जाता है। [पैरा 11] [232-ई]

उदय सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2002) 7 एस. सी. सी 79;

शहाजन अली और ओआरएस। आदि वी। महाराष्ट्र राज्य और

ओआरएस। आदि (2017) 11 एससी 807-पर भरोसा किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2002) 7 एससीसी 79

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

(2017) 11 एससी 807

पै

रा 10

उस पर भरोसा करें

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1040-1041 2021 से।

08.02.2019 और 01.03.2019 दिनांकित निर्णयों और आदेशों से

2003 की आपराधिक अपील No.713 डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय से।

भरत सूद, पी. एस. सुधीर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, करणवीर गोगिया,

सुश्री शिवांगी सिंघल, सुश्री आशिमा मंडला, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

काला सिंह @गुरुनाम सिंह बनाम। पंजाब राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम फैसले और दिनांक 08.02.2019 और 01.03.2019 के आदेशों के खिलाफ दायर की गई हैं। & 2003 की आपराधिक अपील No.713 में चंडीगढ़ में हरियाणा। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 302 से धारा 304 भाग-I आर/डब्ल्यू धारा 34, आई. पी. सी. में संशोधित किया है और 12 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 10,000 / - . धारा के तहत दोषसिद्धि

201 आई. पी. सी. को बनाए रखा गया।

3. यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच अचानक लड़ाई हो गई क्योंकि मृतक ने अपीलार्थी का कबूतर चुरा लिया था और

अचानक हुए झगड़े में सह-अभियुक्त (केहर सिंह), जिसके पास छड़ी थी, ने मृतक के सिर के दाहिने हिस्से में छड़ी से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। यह भी आरोप लगाया जाता है कि इसके बाद अपीलार्थी और सह-अभियुक्तों ने मृतक के शव को छोटी नहर में फेंक दिया। 4. निचली अदालत के समक्ष सह-अभियुक्त पर आई. पी. सी. की धारा302 और 201 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जबकि अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया था।

आई. पी. सी. की धारा <आई. डी1> और 201 के तहत अपराध के लिए। सत्र अदालत ने उन्हें उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें जुर्माने के अलावा आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

5. उच्च न्यायालय में दायर अपील में उच्च न्यायालय ने पाया है कि मृतक ने अपीलार्थी-आरोपी काला के कबूतर को चुरा लिया था सिंह, शंबर सिंह (मृतक) और अपीलार्थी काला सिंह के बीच हाथापाई हुई। यह भी माना जाता है कि सह-अभियुक्त केहर सिंह ने मृतक शंबर सिंह के सिर पर रॉड से वार किया था। इस तरह के प्रहार के परिणामस्वरूप शंबर सिंह नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया है कि हाथापाई पल भर में हुई थी और अचानक लड़ाई जुनून की गर्मी में, अचानक झगड़े पर हुई थी और यह कोई पूर्व-नियोजित कार्य नहीं था। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि अपीलार्थी, सह-अभियुक्त और मृतक ने शराब का सेवन किया था और यहां तक कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में यह पाया गया कि मृतक ने भी शराब का सेवन किया था। उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 30 से धारा 304-1 आई. पी. सी. और [2021] 6 एस. सी. आर. में दोषसिद्धि को संशोधित किया है।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री भारत सूद और राज्य के विद्वान वकील सुश्री जसप्रित गोगिया को सुना है। पंजाब।

7. अपीलार्थी श्री भारत सूद के विद्वान वकील द्वारा की गई एकमात्र दलील यह है कि याचिका दायर करने का कोई इरादा नहीं था।

अपीलार्थी-मृतक को मारने का अभियुक्त। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी, सह-अभियुक्त और मृतक ने शराब का सेवन किया था और इस आधार पर कि मृतक ने अपीलार्थी काला सिंह का कबूतर चुराया था, मृतक शम्बर सिंह और अपीलार्थी काला सिंह के बीच हाथापाई हुई। यह. प्रस्तुत किया जाता है कि उस समय, सह-अभियुक्त केहर सिंह ने दिया

मृतक शंबर सिंह के सिर पर एक छड़ से वार किया गया जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्पर पर हाथापाई हुई थी

क्षण और वह अचानक लड़ाई अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में हुई थी। यह कोई पूर्व-नियोजित कार्य नहीं था और मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए तर्क को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय को दोषसिद्धि को धारा 304 भाग-II में संशोधित करना चाहिए था, लेकिन 304 भाग-I में नहीं, जैसा कि आदेश दिया गया था। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने उदय सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है। यू. पी. 1 का राज्य जिसमें इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-2 के तहत दोषसिद्धि को संशोधित कर दिया है। विद्वान वकील ने आगे यह प्रस्तुत करते हुए कि अपीलार्थी पहले ही तीन साल से अधिक की सजा काट चुका है, आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II के तहत दोषसिद्धि को एक में परिवर्तित करके सजा को कम करने का अनुरोध किया। 8. दूसरी ओर, पंजाब राज्य की विद्वान वकील सुश्री जसप्रित गोगिया ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त को पहले ही पर्याप्त नरमी दिखाई गई है और विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि जिस मामले की विधि पर अपीलार्थी भरोसा करता है, वह तथ्यों के आधार पर अलग है और मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

1 1 (2002) 7 एस. सी. सी. 79 काला सिंह @गुरुनाम सिंह बनाम। पंजाब राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

9. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह सुनने के बाद, हमारे पास है

विवादित निर्णय और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री का अवलोकन किया। विवादित फैसले और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री से यह स्पष्ट है कि यह घटना पंचायत चुनावों की तारीख से एक दिन पहले हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलार्थी, सह-अभियुक्त और मृतक हरदेव सिंह अरोड़ा के घर गए और वे अपने साथ शराब की एक बोतल ले गए। इसके बाद वे हरिके मार्ग से होते हुए डोडा माइनर के पुल पर गए। वहाँ उन्होंने शराब पी ली जहाँ अपीलार्थी और मृतक शंबर सिंह के बीच यह आरोप लगाते हुए झगड़ा हुआ कि मृतक शंबर सिंह ने अपीलार्थी का कबूतर चुरा लिया था। सह-अभियुक्त केहर सिंह, जिसके पास छड़ी थी, ने शम्बर सिंह के सिर पर छड़ से वार किया। इसके तुरंत बाद वह नीचे गिर गया और आधे घंटे के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए उन्होंने शव को छोटी नहर में स्थानांतरित कर दिया। अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और अन्य सामग्री से यह स्पष्ट है कि मृतक शंबर सिंह को मारने का कोई इरादा नहीं था। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि हाथापाई पल भर में हुई थी और अचानक झगड़े के बाद जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई हुई थी। यह पूर्व-नियोजित नहीं था और चूंकि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त की ओर से मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, इसलिए उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-1 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था। अपीलार्थी की ओर से किसी भी इरादे के अभाव में, हमारा विचार है कि यह एक स्पष्ट मामला है जहां अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि बनाए रखते हुए आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II के तहत एक में संशोधित किया जाना है। मामला कानून

जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया जाता है, वह भी अपीलार्थी के मामले का समर्थन करता है कि वह आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-I के तहत अपनी दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II के तहत दोषी ठहराए जाने के मामले में परिवर्तित कर दे।

10. उदय सिंह बनाम के मामले में अपीलार्थी के वकील ने निर्णय पर भरोसा किया। यू. पी. 1 का राज्य मामले का समर्थन करता है अपीलार्थी। प्रासंगिक पैराग्राफ 6 और 7 निम्नानुसार हैं:

" 6. निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई नींव की खुदाई में बाधा के परिणामस्वरूप अचानक शुरू हुई और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि

अभियुक्त ने मृतक पर घातक या खतरनाक हथियारों (या हथियारों) से हमला किया। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक लड़ाई में, हाथ से मुट्ठी में, गैंडा सिंह और अपीलकर्ता दोनों ने मृतक की गर्दन पकड़ ली थी

1] 6 एस सी आर।

शिशुपाल सिंह इतने बल के साथ कि अंततः उनका गला घोंट दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। यह कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि गैंडा सिंह या अपीलार्थी द्वारा मृतक की गर्दन पर कितना दबाव डाला गया था ताकि मृत्यु हो सके। यह मानना उचित होगा कि चोटें इसके कारण हुई थीं

अचानक लड़ाई में मृतक पर अपीलकर्ता जहां कोई हथियार (या हथियार) का उपयोग नहीं किया गया था और वह लड़ाई जुनून की गर्मी में हुई थी और मृतक को मारने का कोई सामान्य इरादा नहीं था, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हम निश्चित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि वास्तव में घातक चोट किसने पहुंचाई क्योंकि अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि गैंडा सिंह और अपीलार्थी दोनों ने मृतक का गला घोंट दिया था, जो कार्रवाई अचानक निहत्थे लड़ाई का हिस्सा है और न ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपीलार्थी का इरादा मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का था जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, हालांकि हम उसे जिम्मेदार ठहराते हैं।

यह जानते हुए कि इस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना है। इस प्रकार अपीलार्थी और गैंडा सिंह गैर इरादतन हत्या के दोषी हैं।

हत्या के बराबर।

7. इन परिस्थितियों में, हम निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि को दरकिनार कर देते हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत पुष्टि की गई है और इसके बजाय धारा 304 भाग 2 के तहत उसे दोषी ठहराते हैं और सजा को सात साल की अवधि के कारावास में घटा देते हैं। पहले दी गई जमानत रद्द कर दी जाएगी और अपीलार्थी निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और

शेष भाग की सेवा करने के लिए जेल के लिए प्रतिबद्ध

वाक्य "।

इसी तरह, शहाजन अली और अन्य के मामले में भी निर्णय। आदि वी। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। आदि। 2 मामले का समर्थन करता है

अपीलार्थी। निर्णय का अनुच्छेद 8, जो प्रासंगिक है, इस प्रकार है

इसके अंतर्गतः

" 8. सरफराज की हत्या में सभी अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में हमें कोई संदेह नहीं है। ए-1 ने मृतक पर चाकू से हमला किया और उसकी गर्दन पर चोट पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। अन्य अभियुक्त ने मृतक के हाथ पकड़कर अपराध करने में उसकी सहायता की। हालाँकि, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या आरोपी आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत किसी अपराध के लिए दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। विचार करने के बाद

2 (2017) 11 एससी 807 काला सिंह @गुरुनाम सिंह बनाम। पंजाब राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

सरफराज की मौत के लिए जिम्मेदार, हमारी राय है कि वे आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। हमें सूचित किया जाता है कि ए-1 को सात साल की सजा हुई है और ए-2 से ए-4 को चार साल की सजा हुई है। हम अभियुक्तों की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित करने के उच्च न्यायालय के फैसले को संशोधित करते हैं, जिसमें उन्हें पहले से गुजर चुकी अवधि के लिए सजा सुनाई गई है। उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-I/34 आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-II/34 के तहत। अपीलार्थी को इसके द्वारा कठोर कारावास की सजा दी जाती है। सात साल की अवधि के लिए और उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए Rs.10,000/- के जुर्माने को बनाए रखा जाता है। इसके अलावा, आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और तीन साल के कठोर कारावास की सजा और Rs.500/- के जुर्माने को भी बनाए रखा जाता है।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस